उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.

(U.P. GOVT UNDERTAKING)
ISO 9001 : 2008 (QMS) and ISO 14001 : 2004 (EMS) CERTIFIED

EPBX 2720671 / 2720665 / 2720670

Fax-0522-2720846

Website : http://www.uprnn.co.in

पंजीकृत कार्यालय :
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226 010

Registered Office :
Vishweshwaraiya Bhawan, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010

संख्या 1591/कैम्प–प्र०नि०/ग्रा० फा०/रा० नि० नि०/2017 दिनांक 9-4-2017

समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक (सि0 व वि0) **अतिमहत्वपूर्ण**
उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0
....

अति0प्रबन्ध निदेशक(वि0)/
महाप्रबन्धक(वाणिज्य)/महाप्रबन्धक(तक0)/
महाप्रबन्धक(कन्स0)/महाप्रबन्धक(यॉ0)
उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0
लखनऊ।

विषयः–समस्त कार्य एवं सामग्रियों का कय ई–टेण्डरिंग प्रकिया से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 8.4.2017 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 के समक्ष किये गये प्रेजेन्टेशन के समय मा0 मंत्री जी, उ0प्र0 द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी कि उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य हेतु कोई ई–टेण्डरिंग नहीं करता। मा0 उप–मुख्यमंत्री जी लो0नि0वि0 द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत कर दिये गये हैं कि समस्त निर्माण कार्य एवं सामग्रियों का कय ई–टेण्डरिंग प्रकिया (पारदर्शिता सहित)सुनिशचित की जाये।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश, जिसकी प्रति आपको पहले ही प्रचारित की जा चुकी है एवं साथ में भी संलग्न शासनादेश संख्या–350/23–7–2017 दिनांक 31.3.2017 के अनुसार ई–टेण्डरिंग प्रकिया से ही कार्यों का आबंटन एवं सामग्रियों का कय सुनिश्चित किया जाये। समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक अपने अधीनस्थ इकाईयों पर उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा यदि किसी इकाई पर उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा शिथिलता की स्थिति पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध शख्त कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त सम्बन्ध में पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय–समय परिपत्र व अनुस्मारक प्रेषित कर निर्देशित किया जाता रहा है कि मैनुवल प्रस्तर–102ए के अनुपालन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर एवं व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं मितवव्ययी दरों पर गुणवत्तायुक्त सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। अद्यतन अनुस्मारक पत्रांक–300/ विविध–30/ रानिनि/17 दिनांक 25.3.2017 की प्रति पुनः सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न की जा रही है।

विद्युत् सम्बन्धी कार्यों एवं सामग्रियों के कय हेतु न्यूनतम दरों के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि न्यूनतम दरों पर स्वीकृत लागत के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कराये जा सके एवं व समुचित रख–रखाव सुनिश्चित हो सके। हमेशा प्रयास किया जाये कि भारत में निर्मित सामग्रियों की ही विशिष्टियों एवं उत्पाद एच0वी0ए0सी0, चिलर्स, सी0एस0एस0डी0, लॉड्री किचेन, ओ0टी0 इत्यादि में प्रयोग किये जाये। साथ ही एल0ई0डी0 लाइट एवं केबिल वायर, स्विचेज का प्रयोग किया जाय।

वाह्य़ वास्तुविद द्वारा प्राविधानित किये जा रहे विशिष्टियों एवं मदों का भी कार्य सम्पादन से पूर्व

क्रमशः पेज दो –

परीक्षण किया जाना आवश्यक है। अंचलीय महाप्रबन्धक इस सम्बन्ध में परीक्षण/समीक्षा कर न्यूनतम दरों एवं औचित्यपूर्ण मदों/मात्राओं के अनुसार ही इकाईयों से कार्य सम्पादन सुनिश्चित करायेंगे। कार्यो में लोक निर्माण विभाग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों एवं उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्रियों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं यदि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा एवं सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(आर0के0गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
2. कैम्प कार्यालय–प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक